न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 64/2023
रजिस्ट्रेशन नं. :2023/74

अभियुक्त :–

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

1. श्री सैफुदीन पुत्र श्री असगर अली निवासी गोल चौराहा, नई आबादी, बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स मोहम्मदी डिपार्टमेन्टल स्टोर, गरीब नवाज लॉज के सामने, मुस्लिम कोलोनी, बांसवाडा, जिला बांसवाडा।
2. श्री धर्मेश भावसार पुत्र श्री लक्ष्मीलाल भावसार निवासी 75/21, गली भावसारवाडा, बांसवाडा जिला बांसवाडा जिला बांसवाडा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 04–03–2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री शशिकांत शर्मा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **21–09–2023** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **10–10–2022** को 3.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मोहम्मदी डिपार्टमेन्टल स्टोर, गरीब नवाज लॉज के सामने, मुस्लिम कोलोनी, बांसवाडा, जिला बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री सैफुदीन पुत्र श्री असगर अली** उपस्थित थे। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स मोहम्मदी डिपार्टमेन्टल स्टोर, गरीब नवाज लॉज के सामने, मुस्लिम कोलोनी, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर दुकान में **घी (गोकुल) 500 एमएल पेकिंग के 10 पैकेट विक्रय हेतु रखे थे। उक्त घी (गोकुल)** में गुण[illegible] का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5 [illegible] **(गोकुल) के 4 पैकेट प्रत्येक में 500 एमएल** वास्ते नमुना जॉच हेतु [illegible] कीमत **1040/– रु.** वि[illegible] को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **घी (गोकुल) के**

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.04.03 15:39:35 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)

4 पैकेट प्रत्येक में 500 एमएल के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1209** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/367 दिनांक 17—11—2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 841 दिनांक 18—10—2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **घी (गोकुल)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1209** Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। अग्रीम माल खरीद फर्म की सूचना चाहने पर विक्रेता द्वारा मैसर्स बहुचर एजेन्सी भावसारवाडा बांसवाडा का अग्रीम माल खरीद बिल प्रस्तुत किया। मैसर्स बहुचर एजेन्सी भावसारवाडा बांसवाडा से फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने पर नही होना बताया। विक्रेता द्वारा **घी (गोकुल)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 22—09—2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण दिनांक [illegible]023 को उपस्थित हुए। दिनांक 20—02—2024 को अप्रार्थीगणो की [illegible] अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थीगणो के अधिवक्ता ने अप्रार्थीगणो की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया कि खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अनुसार खाद्य पदार्थ के पुरे मानक व

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.04.03 15:39:35 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)

लेबल विवरण मौजुद था जो मिस ब्राण्ड की श्रेणी में नही आता है। नमूने खाद्य पदार्थ घी गोकुल ब्राण्ड की जांच में खाद्य विश्लेषक द्वारा जारी रिपोर्ट में नमूना पैकेट पर (1) खाद्य पदार्थ का नाम व ब्राण्ड का नाम (2) निर्माता फर्म का नाम व पता (3) पैकिंग दिनांक (4) उपभोग दिनांक (5) बैच नंबर (6) वेजिटेरियन का हरा लोगो (7) बार कोड (8) एफ.एस.एस.ए.आई लायसेंस नंबर व अधिनियम अनुसार लेबल पर सभी घोषणाओ का मुद्रण व अंकन किया हुआ था। समस्त जानकारी कानूनन पैकेट पर दी गई थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ का पैकेट लेबल रैपर पत्रावली में बतौर साक्ष्य नही लगाया है। अभिहित अधिकारी ने एफ.एस.एस.ए (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) रेगुलेशन नियम 2011 के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन बाबत् धारा 32 एफ.एस.एस.ए का नोटिस प्रार्थीगणो को नही दिया है इस कारण से भी प्रार्थीगण के खिलाफएफ.एस.एस.ए (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) रेगुलेशन नियम 2011 के प्रावधानो के उल्लंघन बाबत् अभियोजन की कार्यवाही नही कर सकते। साथ ही वकील अप्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य पेश करने से इन्कार किया गया।

दिनांक 04—03—2024 के अप्रार्थीगणो के अधिवक्ता एवं विभागीय पैरोकार की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी। अप्रार्थीगणो के अधिवक्ता ने अपने जवाब में प्रस्तुत तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि नमूने खाद्य पदार्थ घी गोकुल ब्राण्ड की जांच में खाद्य विश्लेषक द्वारा जारी रिपोर्ट में नमूना पैकेट पर (1) खाद्य पदार्थ का नाम व ब्राण्ड का नाम (2) निर्माता फर्म का नाम व पता (3) पैकिंग दिनांक (4) उपभोग दिनांक (5) बैच नंबर (6) वेजिटेरियन का हरा लोगो (7) बार कोड (8) एफ.एस.एस.ए.आई लायसेंस नंबर व अधिनियम अनुसार लेबल पर सभी घोषणाओ का मुद्रण व अंकन किया हुआ था। समस्त जानकारी कानूनन पैकेट पर दी गई थी। अप्रार्थीगण के विरुद्ध मामले को खारिज करने निवेदन किया।

विभागीय पैरोकार ने कथन किया कि लिये गए नमूना पैक पर **Expiry date and use by not given as per regulation no.5 (10) under food safety and standards (Labelling and Display) Regulation 2020.** पाया गया। प्रकरण में अभियुक्तगणो Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है जो खांद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.04.03 15:39:35 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

हमन पत्रावली का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस. ए/2022/367 दिनांक 17–11–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 841 दिनांक 18–10–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **घी (गोकुल)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1209** Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf) के तहत मिसब्राण्ड पाया गया **घी (गोकुल)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री सैफुदीन पुत्र श्री असगर अली निवासी गोल चौराहा, नई आबादी, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स मोहम्मदी डिपार्टमेन्टल स्टोर, गरीब नवाज लॉज के सामने, मुस्लिम कोलोनी, बांसवाडा, जिला बांसवाडा को रूपये 5000/– (अक्षरे पॉच हजार रुपया मात्र), श्री धर्मेश भावसार पुत्र श्री लक्ष्मीलाल भावसार निवासी 75/21, गली भावसारवाडा, बांसवाडा जिला बांसवाडा को रूपये 10000/– (अक्षरे दस हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 04–03–2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.04.03 15:39:35 IST
Reason: SelfAttested

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)